राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1( )प्रशा./आकाशि/2019/4210 दिनांकः 05.07.2019

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

राज्य सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के क्रम में कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–3/2004 जयपुर दिनांक 28.06.2019 के अनुसरण में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

5/7/19

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांकः 05.07.2019

क्रमांक : एफ1( )प्रशा./आकाशि/2019/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

5/7/19

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

ACCE/97
04/7/19

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क–3/2004 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2019

–: परिपत्र :–

प्रायः देखने में आता है कि विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण लम्बे समय तक लम्बित रहने के कारण कार्मिक के विरूद्ध शास्ति अथवा पदोन्नति इत्यादि की कार्यवाही लम्बे समय तक रूकी रहती है जिससे दोषी कार्मिकों के विरूद्ध समय पर दण्डिक कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती है एवं निर्दोष कार्मिक को अनावश्यक पदोन्नति से वंचित होना पड़ता है। विशेषरूप से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन/ग्रेच्युटी इत्यादि के भुगतान में भी बाधा उत्पन्न होती है।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 371/2018 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम डॉ0 मेघराज मीणा में एकलपीठ द्वारा डॉ0 मेघराज मीणा के पक्ष में पारित आदेश को विधिपूर्ण आदेश माना है। डॉ0 मेघराज मीणा बनाम राज्य सरकार केस में एकलपीठ द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 25.10.2017 द्वारा समय पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न ना करने पर दोषी अनुशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान दोषी अधिकारी से वसूलने के निर्देश दिये है।

अतः समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करावें अन्यथा प्रकरण में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक/वित्तीय जिम्मेदारी नियत करने की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित करवायी जावें।

ACCE
4/7

(रोली सिंह) 25/6/19
प्रमुख शासन सचिव

CCE
JSTE
JSHE
DSHE
DST

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल/मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/7/19
J.D. (Adm)
4/7/19

(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

3293
3/7/19

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 3222
दिनांक 03/07/19

28 JUN 2019